कार्यालय जिलाधिकारी, महोबा।

(खनिज अनुभाग)

पत्रांक: 1296 /एम0एम0सी0–30–खनिज/2025–26 दिनांक: 03/11/2025

ई–निविदा आमंत्रण की सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद महोबा में 200 शैय्यायुक्त चिकित्सालय एवं ट्रामा सेन्टर के निर्माण व कबरई पोषक नहर एवं क्योलारी सहायक परियोजना (नहर) के निर्माण में निकला उपखनिज बोल्डर के भण्डारण क्षेत्र को शासनादेश संख्या–2595/86–2018–12 (सामा0)/2018 भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग दिनांक 03.12.2018 में दिये गये निर्देशों के अधीन ई–निविदा (e-Tendering) के माध्यम से निस्तारित किये जाने हेतु एतद् द्वारा उपलब्ध घोषित करते हुये दिनांक 10.11.2025 से दिनांक 17.11.2025 तक की अवधि में क्षेत्रों के लिए ई–निविदा पोर्टल http://etender. up.nic.in पर ई–निविदाए निम्नलिखित शर्तो के अधीन आमंत्रित की जाती है।

क्र0 सं0	भण्डारण स्थल का विवरण				को–आर्डिनेट्स	उपखनिज का नाम	भण्डारित उपखनिज की मात्रा (घ0मी0)	नियमावली 2021 के अनुसूची–1 के अनुसार रायल्टी दर (रू0 प्रति घ0मी0)	भण्डारणरित मात्रा की कुल रायल्टी (रू0 में) (कालम–8 में अंकित मात्रा घ0मी0 को कालम–9 में अंकित रायल्टी की दर से गुणा करने पर उपलब्ध सकल धनराशि)	अर्नेस्ट मनी (कालम–10 में अंकित सकल धनराशि का 25 प्रतिशत)
	तहसील	ग्राम	गाटा सं0	रकबा (हे0 में) / चैनेज						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	महोबा	मुडहरा	484ख	6.912	25°15'05.73" 79°50'49.88"	बोल्डर	56272	160	90,03,520/-	22,50,880/-
2.	चरखारी/ महोबा	बगरौन व छिकहरा	624, 625,670, 629, 628, 637, 639, 638, 636, 635, 632, 624, 633, 1313, 1312, 1314	20.760 से 22.150 तक	25°22'17.14" 79°50'00.44"	बोल्डर	90082	160	1,44,13,120/-	36,03,280/-
3.	कुलपहाड़	घुटई व तेलीपहाड़ी	–	3.600 से 4.800 तक	25°17'51.82" 79°23'55.25"	साफ्ट रॉक (पत्थर)	570	160	91,200/-	22,800/-

शर्तेः–

1– दिनांक 10/11/2025 से दिनांक 17/11/2025 तक प्राप्त सभी ई–निविदा दिनांक 18/11/2025 को प्रातः 10:00 बजे से कलेक्ट्रेट महोबा स्थित सभाकक्ष में जिलाधिकारी द्वारा गठित ई–निविदा समिति द्वारा ई–निविदादाताओं की उपस्थिति में खोली जायेगी।

2– बोल्डर निकासी की अवधि 06 माह अथवा मात्रा की निकासी तक, जो पहले हो, की होगी, इसके अतिरिक्त अधिकतम अवधि में कोई विस्तार अनुमन्य नही होगा।

3– कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय जो भारतीय हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई–निविदा संलग्न प्रारूप–2 पर प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित बाते होंगी :–

क– निविदाकार का नामः–
ख– निविदाकार के पिता का नामः–
ग– स्थायी पताः–
घ– वर्तमान पताः–
ड़– पेन नं0:–
च– आधार नं0:–
छ– ई–मेल आई डी व मोबाईल नं0:–
ज– अप्रतिदेय आवेदन शुल्क रू0 10,000/– का चालान संख्या व दिनांकः–
झ– पते का प्रमाण पत्र (वोटर आई डी/पास पोर्ट/डीएल/विद्युत बिल/बैंक पास बुक/राशन कार्ड)
ट– आवेदित क्षेत्र का विवरण – तहसील व ग्राम का नाम :–
ठ– उपखनिज का नाम :–
ड– भण्डारित उपखनिज की मात्राः–
ढ– खनन देय बकाया न होने का प्रमाण पत्रः–

.....2

Scanned with OKEN Scanner

ण– न्यूनतम आरक्षित मूल्य का 25 प्रतिशत के समतुल्य अर्नेस्ट मनी के रूप में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो कि जिलाधिकारी महोबा के नाम देय होगा

(क) बैंक ड्राफ्ट की धनराशि :–

(ख) बैक का नाम व शाखा :–

(ग) ड्राफट नम्बर एवं दिनांक :–

त– जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र–

थ– चोरी, तस्करी, अवैध खनन/अवैध परिवहन अथवा अवैध खनिज भण्डारण से सम्बंधित किसी मामले में किसी न्यायालय में दोषी सिद्व नहीं ठहराये गये है,के सम्बंध में शपथ पत्र–

4– ई–निविदा में भाग लेने हेतु प्रत्येक निविदादाता को अलग–अलग अप्रतिदेय (Non refundable) आवेदन शुल्क रू0 10,000.00 (दस हजार रूपये) एवं निर्धारित अर्नेस्ट मनी की धनराशि जमा करना होगा।

5– ई–निविदा में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध बोल्डर की मात्रा/गुणवत्ता का आंकलन स्वयं करके संतुष्ट होने के उपरान्त ही प्रतिभाग करें, निविदा उपरान्त किसी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त ई–निविदाओं को निर्धारित तिथि एवं समय पर जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा खोला जायेगा।

6– सर्वोच्च दर के ई–निविदा कर्ता का चयन उस क्षेत्र के उपखनिज की निकासी की अनुमति देने के लिये किया जायेगा। सफल ई–निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त समिति की संस्तुति के आधार पर उसे जिलाधिकारी द्वारा निकासी हेतु सहमति पत्र (लेटर ऑफ इन्टेट) जारी किया जायेगा। उच्चतम ई–निविदा प्रस्तुत करने वाले ई–निविदा कर्ता को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।

7– ई–निविदा में प्राप्त उच्चतम ऑफर के अनुसार देय धनराशि अग्रिम के रूप से जमा अर्नेस्ट मनी को समायोजित करते हुये शेष धनराशि 07 दिन के अन्दर जमा कराना अनिवार्य होगा। समस्त धनराशि एवं नियमानुसार स्टाम्प शुल्क एवं 10 प्रतिशत डी0एम0एफ0 व 2 प्रतिशत टी0सी0एस0 जमा करने के उपरान्त की कार्यादेश जारी किया जायेगा। यदि ई–निविदाकर्ता द्वारा उक्त अवधि में उपरोक्त धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो जमा अर्नेस्ट मनी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करते हुये जारी लेटर ऑफ इन्टेंट निरस्त कर दी जायेगी। इस सम्बंध में कोई दावा बाद में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

8– उक्त ई–निविदा को बिना कोई कारण बताए जिलाधिकारी द्वारा कभी भी निरस्त किया जा सकता है।

9– बोल्डर निकासी की अवधि 06 माह के लिये होगी, अधिकतम अवधि में कोई विस्तार अनुमन्य नहीं होगा। भण्डारण स्थल से खनिज की निकासी उ0प्र0 खनिज (अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण का निवारण) नियमावली–2018 के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी। प्रकिया से सम्बंधित जानकारी सम्बंधित पोर्टल एवं जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग से किसी भी कार्यदिवस में प्राप्त की जा सकती है।

10– बिन्दु सं0–3 में उल्लिखित वांछित अभिलेखों तथा बैंक ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई–टेण्डर के साथ अपलोड किया जाना होगा, यदि ई–निविदाकार द्वारा बिन्दु सं0–2 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई–निविदा के साथ अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी ई–निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों यथा पैन कार्ड, पते का प्रमाण पत्र, खनन अदेयता प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति ई–निविदा खोले जाने से एक घन्टे पूर्व अर्थात् 09:00 बजे तक समिति के सदस्यों के समक्ष जमा कराना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, विज्ञप्ति के क्षेत्र का कमांक, क्षेत्र का नाम, आवेदक का नाम, मोबाईल नम्बर लिखना अनिवार्य होगा।

11– उपखनिज बोल्डर निकासी हेतु कार्याआदेश जारी किये जाने के उपरान्त ही उपखनिज बोल्डर की निकासी किया जायेगा।

12– ई–निविदा की बिड को स्वीकार करने अथवा किसी भण्डारण स्थल के लिए उच्चतम बिड को कारण अभिलिखित करते हुए अस्वीकार करने का अधिकार जिलाधिकारी को निहित होगा।

13– मा0 उच्च न्यायालय, मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण अथवा मा0 सर्वोच्च न्यायालय उ0प्र0 शासन अथवा जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

14– नियमों एवं शर्तो के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप यदि कोई वाद अथवा अपराधिक प्रकिया योजित होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी एवं यदि इस सम्बन्ध में कोई व्यय होता है तो उसका वहन निविदादाता द्वारा किया जायेगा।

.....3

Scanned with OKEN Scanner

15- राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा यदि नियमों/अधिनियमों में कोई संशोधन किया जाता है अथवा कोई शर्त अथवा विधि प्रख्यापित की जाती है तो वह भण्डारणकर्ता को मान्य होगा।

16- भण्डारणकर्ता खनिज परिवहन करने वाले प्रत्येक वाहन में भरे खनिज की तौल करायेगा तथा ऐसे वाहन का फोटोग्राफ मय चालक के जिसमें वाहन का पंजीयन तथा उसमें भरे खनिज की मात्रा स्पष्ट दिखाई दे उस वाहन के लिए निर्गत किये जाने वाले परिवहन ई प्रपत्र 'सी' के साथ संलग्न करेगा।

17- स्थानीय स्थिति तथा परिस्थितिजन्य परिवेश को ध्यान में रखतें हुए जिलाधिकारी द्वारा लगायी गयी अन्य शर्ते, जो उचित समझी जाए, मान्य होगी।

18- बिड डाक्यूमेन्ट, नियमों एवं शर्तो आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी ई-टेण्डर पोर्टल http://etender.up.nic.in पर एवं जिलाधिकारी कार्यालय (खनिज अनुभाग), महोबा तथा जनपद महोबा के वेब साइट mahoba.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।

(ग़ज़ल भारद्वाज)
जिलाधिकारी
महोबा।

पत्रांक व तद्‌दिनांकः-

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2- आयुक्त, चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।
3- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0 खनिज भवन, लखनऊ।
4- निदेशक, सूचना निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), महोबा।
6- उपजिलाधिकारी, महोबा।
7- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, महोबा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को जनपद-महोबा के बेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे।
8- जिला सूचना अधिकारी, महोबा को दैनिक समाचार पत्रो में निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने हेतु।

जिलाधिकारी
महोबा।

Scanned with OKEN Scanner

ई–निविदा प्रपत्र

1	विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, जिसके द्वारा उपखनिज बोल्डर को विज्ञापित किया गया हो	
2	ई–निविदाकार का नाम	
3	पिता का नाम	
4	स्थायी पता	
5	वर्तमान पता	
6	ई–मेल आई डी नम्बर	
7	मोबाईल नम्बर	
8	पैन कार्ड नम्बर	
9	विज्ञप्ति में दी गयी बोल्डर/सॉफ्ट रॉक के भण्डार की कुल मात्रा	———————— घनमीटर
10	पता के प्रमाण के रूप में निम्न में से कोई एक मान्य होगा–आधार कार्ड/वोटर आई डी/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस अथवा राशन कार्ड। फर्म/कम्पनी/निकाय के लिये उसके पंजीकरण का विवरण)	
11	खनन देय बकाया न होने के सम्बन्ध में अदेय प्रमाण पत्र अथवा इस आशय का शपथ पत्र कि उनके ऊपर कोई सरकारी देयता नही है।	
12	बैंक ड्राफ्ट का विवरण	बैंक का नाम व शाखा———————— बैंक ड्राफ्ट नम्बर———————— धनराशि ———————— दिनांक————————
13	उस जिले के जिलाधिकारी, जहाँ ई–निविदाकार स्थायी रूप से निवास करता है, द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र, पैन कार्ड एवं आधार कार्ड। फर्म के मामलें में प्रोपराइटर/पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की प्रति एवं कम्पनी के मामले में निदेशक का DIN एव कम्पनी का पैनकार्ड व जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की प्रति का विवरण	

उपरोक्त उल्लिखित विवरण मेरी जानकारी में सत्य एवं सही है। कोई सूचना छिपायी नही गयी है तथा मैं निविदा आमंत्रण की समस्त शर्तो को स्वीकार करता हूँ।

दिनांकः–   /   /2025

स्थानः–महोबा।

ई–निविदाकार के हस्ताक्षर

Signature Not Verified

Digitally signed by RAKESH BAHADUR SINGH
Date: 2025.11.05 17:20:55 IST
Location: Uttar Pradesh-UP

Scanned with OKEN Scanner